प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 16.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.07.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। **बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–**

1. बिहार नगर सेवा नियमावली प्रारूप पर समीक्षा कर मंतव्य देने हेतु विभाग स्तर पर श्री संजय कुमार, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गयी है। उक्त कमिटी का मंतव्य प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि यह कमिटि एक सप्ताह के अंदर समीक्षा कर प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी। **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**
2. सहायक अभियंता / कनीय अभियंता के पद पर सेवानिवृत्त अभियंताओं की संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित करायी जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**
3. टाउन प्लानर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना आज ही बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**
4. जिन नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों से वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अनुरोध विभाग में प्राप्त है, उनका वेतन पुर्जा 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से निर्गत कर दिया जाय और जैसे–जैसे संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों से इस हेतु अनुरोध प्राप्त होता रहेगा, उनका वेतन पुर्जा 02 दिनों के अंदर निर्गत किया जाता रहेगा। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**
5. नगर निकाय क्षेत्रांतर्गत बड़े भवनों / निजी भवनों / वाणिज्यिक भवनों में rain water harvesting की व्यवस्था अनिवार्य किये जाने हेतु निकायों को पत्र भेजा जाय। इस हेतु निकायों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा और मुख्य रूप से जिन वाणिज्यिक भवनों में rain water harvesting की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उन भवनों के वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर seal करने की कार्रवाई की जाएगी। **(अनुपालन :– TCPO)**
6. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के तहत बुडको के अधीन अभियंताओं के सृजित पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग (राज्य सरकार) के अधीन किये जाने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु संलेख पर परिचालन विधि के माध्यम से स्वीकृति हेतु संचिका मुख्य सचिव को भेजी गयी है। निर्देश दिया गया कि प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु संबंधित विभागों से आज ही समन्वय सुनिश्चित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**
7. स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत शौचालय निर्माण में शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु संबंधित निकायों में (बाढ़ग्रस्त निकाय छोड़कर) दिनांक 20.07.2019 (शनिवार) को कैम्प आयोजित करने हेतु निकायों को निर्देश भेजा जाय। उक्त कैम्प में विभाग के परियोजना पदाधिकारी एवं जिले के नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। **(अनुपालन– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०पदा०)**
8. दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में 20 वार्डों में जलापूर्ति का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है एवं 09 वार्डों में जलापूर्ति का कार्य बुडको द्वारा किया जाएगा तथा शेष वार्ड में कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा। निर्देश दिया गया कि 09 वार्डों में जलापूर्ति कार्य हेतु बुडको को शीघ्र डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन–श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)**

9. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वैसे मामलों, जिनमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाता है, उन मामलों में प्रायः यह देखा जाता है कि SOF के अनुमोदन हेतु संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अंतिम तिथि को उपस्थापित की जाती है, जिसके कारण SOF में कोई संशोधन करना हो अथवा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई करनी हो तो समयाभाव के कारण नहीं हो पाती है और फलस्वरूप विभाग को माननीय न्यायालय में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तदनुसार सभी विभागीय पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि SOF संचिका अंतिम तिथि से कम से कम 02 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन– सभी विभागीय पदा०/प्रशाखा पदा०)**

10. नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए निर्देश दिया गया कि रोस्टर के अनुसार नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों/कार्यपालक पदाधिकारियों/नगर निकाय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए कैलेण्डर निर्धारित किया जाय और इस हेतु अलग–अलग प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को कार्य दायित्व निर्धारित किया जाय। इन संस्थाओं द्वारा राज्य/संबंधित निकाय में आकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और कैलेण्डर में निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित संस्थाओं द्वारा exposure visit की व्यवस्था की जाएगी।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)

11. निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं exposure visit के लिए राज्य/निकाय में आकर प्रशिक्षण देने के संबंध में संबंधित संस्थाओं से हुए वार्ता के आलोक में विशेष सचिव द्वारा बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि 02 संस्थाओं द्वारा इस हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। निर्देश दिया गया कि चूँकि जनप्रतिनिधियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को अलग–अलग संस्थाओं के माध्यम से रोस्टर के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, अतः प्रशिक्षण एवं exposure visit हेतु कम से कम 02 और संस्थाओं के साथ MOU करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :–श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

12. विभाग द्वारा तैयार किये गये नीति/नियम/विनियम आदि का कम्पेडियम तैयार किया जाय। इस हेतु संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखाओं से समन्वय कर इससे संबंधित परिपत्रों को प्राप्त कर कम्पेडियम तैयार किया जाएगा और इसे ई०–कम्पेडियम के रूप में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। कम्पेडियम तैयार किये जाने संबंधी कार्य PMC-NULM के IEC टीम द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन :– Team-Leader, NULM)

13. नवनियुक्त बिहार नगर सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। इनमें तत्काल वैसे कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाय, जिनके निकाय में शौचालय निर्माण एवं SWM के कार्य में शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है।

(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

14. TCPO एवं विभाग के समूह 'घ' के कई कर्मियों का अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हो पाया है। सेवा संपुष्टि नहीं होने के कारण इन कर्मियों की प्रोन्नति को विभागीय प्रोन्नति समिति की पिछली बैठक में अस्वीकृत भी कर दिया गया था। संबंधित कर्मियों की सेवा संपुष्टि हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ताकि कर्मियों को अनुमान्य लाभ दिया जा सके।

(अनुपालन– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

15. सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि विभाग की या किसी निकाय में कोई महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ होता है या योजना पूर्ण होता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन NULM team के

मिडिया प्रभारी को उपलब्ध कराया जाय और मिडिया प्रभारी द्वारा जनसाधारण को इससे अवगत होने हेतु मिडिया को उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन :– सभी विभागीय पदाधिकारी / मिडिया प्रभारी)

16. कोर्ट केस के वैसे सभी मामलों, जिनमें विभाग formal party नहीं है और महत्वपूर्ण मामले हैं, वैसे मामलों की सूची तैयार कर ली जाय और प्रत्येक बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित की जाय ताकि महत्वपूर्ण एवं urgent मामलों का निष्पादन हो जाय। **(अनुपालन :– सभी प्रशाखा पदाधिकारी)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

17/7/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3705 न०वि० एवं आ०वि० / पटना, दिनांक 17/7/19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी / सभी परियोजना पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG / Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग / TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/2019

प्रधान सचिव